दरभंगा जिला के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा दरभंगा जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश के आलोक में सभी प्रकार की शस्त्र अनुज्ञप्तियों का Database NIC द्वारा विकसित प्रपत्र में तैयार किया जाना है और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को दिनांक–31.03.2016 के पूर्व एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) आवंटित किया जाना है। उक्त तिथि के बाद बिना विशिष्ट संख्या के कोई भी अनुज्ञप्ति वैध नहीं होगी। अनुज्ञप्तिधारियों के Database को तैयार करने हेतु चार तरह के विहित प्रपत्र तैयार किये गये है, जिसे सभी थानों/ अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय, पुलिस अधीक्षक एवं जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रपत्र जिला के **Website: www.darbhanga.bih.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

Form-1 ⟶ दरभंगा जिला से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारियों के लिए।

Form-2 ⟶ दरभंगा जिला से बाहर के अनुज्ञप्तिधारी जो दरभंगा O.D. पंजी में पंजीकृत है।

सभी सूचनाएँ विहित प्रपत्र में पूर्ण एवं शुद्ध रूप से दिनांक– 31.03.2016 तक निश्चित रूप से भरकर जिला शस्त्र शाखा, दरभंगा में जमा कर देना है एवं पावती रसीद प्राप्त लेना है। विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ फैक्स/ ई–मेल/डाक से स्वीकार्य नहीं होंगी बल्कि अनुज्ञप्तिधारी अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप में ही प्राप्त की जाऐगी। विहित प्रपत्र के साथ शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति एवं अनुज्ञप्तिधारी का एक अद्यतन फोटो भी संलग्न करना होगा। निर्धारित तिथि तक प्रपत्र नहीं भरने वाले अनुज्ञप्तिधारियों का Database तैयार नहीं हो सकेगा और उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक–01.04.2016 से अवैध हो जाएगी जिसके लिए पूर्णतया स्वयं जिम्मेवार होंगें।

जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।